उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्याः वर्ष 2025)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।
		(2)	नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद्, छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय–समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
		(3)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 1 का संशोधन	2.		उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2–क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:– "(2–क): यदि, कोई क्षेत्र 07 जुलाई, 1949 के बाद किसी नागर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो भी अनुसूची 2 के स्तम्भ 3 में वर्णित विषयों के सम्बन्ध में स्तम्भ 4, 5 एवं 6 में वर्णित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित माने जायेंगे।"
धारा 154 का संशोधन	3.		मूल अधिनियम की धारा 154 में, (i) उपधारा (2) का लोप कर दिया जायेगा; (ii) उपधारा (2–क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– "(2–क) तत्समय प्रवृत्त भौमिक अधिकार से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अन्तरण औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण तथा पर्यटन के लिए किसी न्यास, संस्था, कम्पनी, फर्म को किया गया है या एक पंजीकृत सहकारी समिति या दानोत्तर प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्था के पक्ष में किया गया है जिसके पास उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है अथवा यह कि अन्तरण जनसाधारण के हित में किया गया है तो उपधारा (1) में स्वीकृत सीमा से अधिक अन्तरण करने का अधिकार प्रदान कर सकेगी:

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

परन्तु यह कि उपरोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि क्रय की अनुमति से पूर्व संबंधित विभागों द्वारा निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन तथा प्लांट एवं मशीनरी इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव का आंकलन करते हुए भूमि अनिवार्यता प्रमाण–पत्र (Land Essentiality Certificate) निर्गत किया जायेगा तथा इस प्रयोजन हेतु संबंधित विभागों द्वारा अभिहित अधिकारी (Designated officer) नामित किया जायेगा, जो विभागाध्यक्ष अथवा उससे एक स्तर न्यून होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'अंतरण' से उत्तराखण्ड राज्य के केवल जिला ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार की भूमि का ही अंतरण अभिप्रेत है।"

(iii) उपधारा (4) में,

(एक) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु, यह कि क्रेता भूमि क्रय से पूर्व उप निबंधक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि स्वयं अथवा उसके परिवार द्वारा अपने जीवन काल में आवासीय प्रयोजन हेतु राज्य में अन्यत्र 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय नहीं की गयी है। यदि शपथ पत्र असत्य पाया जाता है तो ऐसा अन्तरण शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।"

(दो) खण्ड (3) के उपखण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"**(क)** धारा 154 के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा निगमित निकाय उत्तराखण्ड में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जो विहित किये जायें, भूमि क्रय कर सकता है–

(i) चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये, यदि वह उत्तराखण्ड की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति के अनुरूप हो;

(ii) किसी होटल, ठहरने का स्थान, अतिथि गृह, भोजनालय, मद्यशाला, सखनिज, झरना, मार्ग में सुविधायें अथवा सैरगाह के लिये यदि वह राज्य की पर्यटन नीति के अनुरूप हो;

(iii) शिक्षा विभाग की संस्तुति पर शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये;

(iv) सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिये;

(v) धारा 154(4)(2) के उपखण्ड (ङ) में उल्लिखित स्थलों से भिन्न स्थलों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ;

(vi) उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–05 वर्ष 2013) की धारा (5) की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अध्याधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्यमों के लिए; अर्थात्:–

- **(क)** भारत सरकार की विशेष औद्योगिक पैकेज, 2003 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित गैर अनुमन्य उद्यमों को छोड़कर सभी प्रकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु।
- **(ख)** भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित थ्रस्ट सेक्टर उद्यमों को सम्पूर्ण राज्य में उद्यम स्थापित करने हेतु।

(vii) भारत सरकार/राज्य सरकार की आवास योजना/नीति के अनुरुप किफायती आवासीय भवन (Affordable Housing) के लिए;

(viii) खेल विभाग की नीति के अनुसार खेल प्रशिक्षण अकादमी, स्टेडियम इत्यादि की स्थापना हेतु।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

परन्तु यह कि उपरोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि क्रय की अनुमति से पूर्व संबंधित विभागों द्वारा निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन तथा प्लांट एवं मशीनरी इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव का आंकलन करते हुए भूमि अनिवार्यता प्रमाण–पत्र (Land Essentiality Certificate) निर्गत किया जायेगा तथा इस प्रयोजन हेतु संबंधित विभागों द्वारा अभिहित अधिकारी (Designated officer) नामित किया जायेगा, जो विभागाध्यक्ष अथवा उससे एक स्तर न्यून होगा।"

(तीन) खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"**(ख)** कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा निगमित निकाय उत्तराखण्ड राज्य के केवल हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले में ही कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजनों के लिए इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् कि ऐसी भूमि का उपयोग केवल कृषि अथवा औद्यानिकी हेतु और ऐसे उपयोगों के लिये किया जायेगा, जो कृषि अथवा औद्यानिकी से सम्बन्धित तथा आनुषांगिक हो, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से भूमि क्रय कर सकेगा। यदि शपथ–पत्र में उल्लिखित भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसा अन्तरण शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।"

(चार) खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के पश्चात् नये उपखण्ड (ग) एवं उपखण्ड (घ) को निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"**(ग)** (1) कोई व्यक्ति यदि वह खातेदार नहीं है, किन्तु धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ङ) या 154(4)(2)(च) के अधीन भूमि बिना स्वीकृति के क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से भूमि क्रय करता है, तो धारा 129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिए अर्ह होगा;

(2) ऐसा भूमिधर बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बंधक या दृष्टिबंधित कर सकेगा तथा धारा 129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा;

(3) यदि ऐसा भूमिधर बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तथा उक्त बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002' (सरफेसी एक्ट) अथवा अन्य प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए, ऋण की अदायगी हेतु ऐसी भूमि को नीलाम/विक्रय किया जाता है, तो नीलामी/विक्रय द्वारा प्राप्त हुई ऐसी भूमि के प्राप्तकर्त्ता/क्रेता को पृथक से भूमि क्रय की अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी;

परन्तु यह कि यदि क्रेता उत्तराखण्ड राज्य में धारा 129 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी का खातेदार अथवा उत्तराखण्ड में स्थित किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी, जिसने 12.09.2003 या उससे पूर्व ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ली हो अथवा ऐसे खातेदार या सम्पत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आशय पति–पत्नी तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित माता–पिता, दादा–दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा बहन से है, द्वारा नीलामी/विक्रय में प्रतिभाग कर ऐसी भूमि प्राप्त की जाती है तो वह धारा 129 के अंतर्गत अंतरणीय अधिकारों वाला भूमिधर हो जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि क्रेता उत्तराखण्ड राज्य में धारा 129 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी का खातेदार अथवा उत्तराखण्ड में स्थित किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी, जिसने 12.09.2003 या उससे पूर्व ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ली हो अथवा ऐसे खातेदार या सम्पत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आशय पति–पत्नी

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित माता–पिता, दादा–दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा बहन से है, नहीं हैं तो वह नीलामी/विक्रय से प्राप्त की गयी भूमि का धारा 129 के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर हो जाएगा और वह समान प्रयोजन हेतु अर्थात जिस प्रयोजनार्थ ऐसी भूमि क्रय की गयी थी, उसी प्रयोजन हेतु उपयोग कर सकेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति जो धारा 129 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी का खातेदार अथवा उत्तराखण्ड में स्थित किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी, जिसने 12.09.2003 या उससे पूर्व ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ली हो, नहीं है, जो बिना अनुमति के धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ङ) अथवा 154(4)(2)(च) के अधीन भूमि क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से भूमि क्रय करता है, तीन वर्ष की अवधि के अन्दर जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद यदि क्रेता निर्धारित समयान्तर्गत भू–उपयोग समय वृद्धि हेतु आवेदन करता है तो ऐसी अवधि के अन्दर, जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उक्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करेगा।

(5) यदि केता उक्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है, नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार की अनुमति के बिना विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।"

"(घ) (1) जिस प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की गयी है, उसी प्रयोजन हेतु विक्रय के लिए विक्रेता को अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी;

(2) समान प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों हेतु विक्रय के लिए, यदि क्रेता उत्तराखण्ड राज्य में धारा 129 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी का खातेदार अथवा उत्तराखण्ड में स्थित किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी, जिसने 12.09.2003 या उससे पूर्व ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ली हो अथवा ऐसे खातेदार या सम्पत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आशय पति–पत्नी तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित माता–पिता, दादा–दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा बहन से है, नहीं हैं तो विक्रेता को सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(3) यदि क्रेता उत्तराखण्ड राज्य में धारा 129 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी का खातेदार अथवा उत्तराखण्ड में स्थित किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी, जिसने 12.09.2003 या उससे पूर्व ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ली हो अथवा ऐसे खातेदार या सम्पत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आशय पति–पत्नी तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित माता–पिता, दादा–दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा बहन से है, तो वह विशेष श्रेणी के भूमिधर से भूमि क्रय करने के उपरांत भी धारा–129 के अंतर्गत अंतरणीय अधिकारों वाला भूमिधर हो जाएगा;

(4) यदि क्रेता उत्तराखण्ड राज्य में धारा 129 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी का खातेदार अथवा उत्तराखण्ड में स्थित किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी, जिसने 12.09.2003 या उससे पूर्व ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ली हो अथवा ऐसे खातेदार या सम्पत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आशय पति–पत्नी तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित माता–पिता, दादा–दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा बहन से है, नहीं हैं तो वह यदि विशेष श्रेणी के भूमिधर से राज्य सरकार की अनुमति से भूमि क्रय करता है तो वह विशेष श्रेणी का भूमिधर ही होगा।"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

			(iv) उपधारा (5) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्– "(1) यदि **(क)** निबंधक अथवा उपनिबंधक के समक्ष जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त किये गये हों, ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित कोई विलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसके संज्ञान में यह आता है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अन्तरण से धारा 154(3), 154(4)(1)(क) अथवा 154(4)(3) का उल्लंघन होता है; अथवा, **(ख)** किसी राजस्व अधिकारी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी स्रोत से कोई सूचना प्राप्त होने से अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस भूमि का अन्तरण किया गया है उससे धारा 152–क, 154(3), 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ङ), 154(4)(2)(च) अथवा 154(4)(3) के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है; तब वह उपनिबंधक, निबंधक अथवा राजस्व अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस उपखण्ड के भारसाधक अधिकारी सहायक कलेक्टर को सन्दर्भित करेगा, जिसमें वह भूमि अथवा उसका भाग स्थित है, तो वह उस रीति से जैसा विहित किया जाय, यह विनिश्चित करेगा कि क्या ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के उपबन्ध का उल्लंघन है और ऐसा प्रत्येक अन्तरण जो कि शून्य है, के सम्बन्ध में धारा 167 के परिणाम लागू होंगे; (2) राज्य सरकार राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर या स्वयं किसी कार्यवाही या वाद के अभिलेख, उसकी या उस पर पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य पर अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे; (3) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आदेश, जो किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया जाए।"
धारा 156 का संशोधन	4.		मूल अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– **"(एक)** मूल अधिनियम की धारा 157 (क) तथा धारा 157 (ख) में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कृषि, बागवानी, जड़ी–बूटी उत्पादन, बेमौसमी सब्जियों, औषधीय पादपों एवं सुगन्धित पुष्पों, मसालों का उत्पादन, वृक्षारोपण, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन तथा पशुधन प्रजनन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, कृषि एवं फल प्रसंस्करण, चाय बागान एवं प्रसंस्करण तथा वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किसी व्यक्ति, संस्था, समिति, न्यास, फर्म, कम्पनी एवं स्वयं सहायता समूह को भूमि पट्टे पर शर्तें निर्धारित करते हुए पट्टा किराया सहित अधिकतम 30 वर्षों के लिए दी जायेगी। पट्टा किराया में नगद, उपज अथवा उपज के किसी अंश को सम्मिलित किया जा सकेगा। पट्टा विलेख के आधार पर पट्टाकर्त्ता, पट्टेदार, खसरा नम्बरान, रकबा, पट्टावधि इत्यादि की प्रविष्टि/इन्द्राज, खतौनी के अभ्युक्ति (Remarks) कॉलम में किया जायेगा।"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अनुसूची 2 का संशोधन	5.		मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में क्रम संख्या 11 के पश्चात् एक नया क्रमांक 11क निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—

क्रम संख्या	धारा	कार्यवाहियों का ब्यौरा	आरम्भिक अधिकारिता का न्यायालय	प्रथम अपील का न्यायालय	द्वितीय अपील का न्यायालय
1	2	3	4	5	6
11क	152—क(1), 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ख), 154(4)(2)(च), 154(4)(3), 154(5)	उल्लंघन की दशा में संक्रमण शून्य एवं उसका परिणाम	परगने का भारसाधक अधिकारी सहायक कलेक्टर	आयुक्त	राजस्व परिषद्

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

कारण और उद्देश्य

राज्य में विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि क्रय करने हेतु प्रयोजन की आवश्यकतानुसार भूमि–क्षेत्रफल तथा क्रय भूमि के निर्धारित प्रयोजन के अनुसार उपयोग किये जाने और नागर निकाय क्षेत्रान्तर्गत आने वाली भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किये जाने के उद्देश्यों से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) का संशोधन मात्र है।

2. प्रस्तावित विधेयक को अधिनियमित किये जाने पर राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय सन्निहित नहीं है ।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) का संशोधन मात्र है।

2. प्रस्तावित विधेयक में किसी प्रकार की विधायी शक्तियों का प्रतिनिधायन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) का संशोधन मात्र है।

2. प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ की व्यवस्था की गयी है।
3. प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 2 में अधिनियम की धारा 1 का संशोधन प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 3 में अधिनियम की धारा 154 का संशोधन प्रस्तावित है।
5. प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 4 में अधिनियम की धारा 156 का संशोधन प्रस्तावित है।
6. प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 5 में अधिनियम की अनुसूची 2 का संशोधन प्रस्तावित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition And Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Bill, 2025

(Uttarakhand Bill No. of 2025)

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Uttar Pradesh Act no 01 of 1951) (Adaptation and Modification Order, 2001) in the context of the State of Uttarakhand;

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the seventy-sixth year of the Republic of India:

Short title, extent and Commencement	**1.**	(1) This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Act, 2025. (2) It shall extend to the whole of State of Uttarakhand except the areas included and to be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Palika Parishad and Cantonment Board limits. (3) It shall come into force at once.
Amendment of section 1	**2.**	In the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Uttar Pradesh Act No. 01 of 1951) (Adaptation and Modification Order, 2001) (herein after referred to as principal Act) sub section (2-A) of section 1 shall be substituted as follows, namely: - "(2-A) If any area is included in any local body area after July 7, 1949, in respect of the subjects mentioned in column 3 of Schedule II, it will still be under the jurisdiction of the courts mentioned in columns 4,5 and 6."
Amendment of section 154	**3.**	In section 154 of the principal Act, - **(i)** sub-section (2) shall be omitted; **(ii)** sub-section (2-A) shall be substituted as follows, namely:- **"(2-A).** Subject to the provisions of any other law relating to the land tenures for the time being in force, the State Government may, by general or special order authorise transfer in excess of

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		the land prescribed in sub-section (1), if it is of the opinion that such transfer is done to any trust, institution, company, firm for industrial purposes, Ayush, Education, Health and Medical Education, Horticulture and various processing, Tourism or in favour of a registered co-operative society or an institution established for a charitable purpose, which does not have sufficient land for its need or that the transfer is in the interest of general public: Provided that before granting permission for purchase of land for the above purposes the concern department shall issue land essential certificate after assessing the proposal with reference to amount of investment, employment generation and plant and machinery etc. and for this purpose a designated officer shall be nominated by the concern department, who shall be the head of department or one level below him. **Explanation** – For the purpose of this sub-section, 'transfer' means transfer of land only in the district Udham Singh Nagar and Haridwar of the State of Uttarakhand." **(iii)** in sub-section (4),- **(one)** The following proviso shall be added to sub-clause (a) of clause (1), namely: - "Provided that buyer before purchasing the land, shall furnish an affidavit to the sub-Registrar to the effect that he or his family has not purchased more than 250 square meters of land elsewhere in the State for residential purposes during his lifetime. If the affidavit is found to be false, such transfer shall be void and the consequences of section 167 shall apply. " **(two)** sub-clause (a) of clause (3) shall be substituted as follows, namely: - "(a) Subject to restrictions contained in section 154, a person, society or corporate body may purchase land for the following purposes, with the prior sanction of the State Government in the Uttarakhand as may be prescribed: - (i) for medical or health related purposes, if it conforms to the Health and Population Policy of Uttarakhand; (ii) for hotel, Lodge, Guest House, Restaurant, Bar, Spa, waterfall, way side amenities or resort, if it conforms to

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

the Tourism Policy of the State;

(iii) for educational purposes, on the recommendations of the Department of Education;

(iv) for cultural purposes;

(v) for Industrial purposes in areas other than those mentioned in sub-clause (e) of section 154 (4)(2) and such other purposes.

(vi) subject to the clause (a) of sub section (1) of section 5 of the Uttrakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012 (Uttrakhand Act no 05 of 2013), for enterprises of Micro, Small and Medium category as follows, namely;

(a) for establishment of all types of micro, small and medium enterprises except as notified State Government from time to time non admissible enterprises on Khasra number of the notified lands under the special industrial package, 2003 of the Government of India;

(b) for establishment of enterprises within the whole State to the notified thrust sector enterprises by the Government of India/ State Government from time to time.

(vii) For affordable residential buildings in accordance with the Government of India/State Government Housing Scheme/Policy.

(viii) For establishment of Sports Training Academy, stadium etc. as per the policy of Sports Department:

Provided that before granting permission for purchase of land for the above purposes the concern department shall issue land essential certificate after assessing the proposal with reference to amount of investment, employment generation and plant and machinery etc. and for this purpose a designated officer shall be nominated by the concern department, who shall be the head of department or one level below him."

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(three) sub-clause (b) of clause (3) shall be substituted as follows, namely: - "**(b)** A person, society or corporate body may purchase land with prior sanction of the State Government for Agricultural or Horticultural purposes only in Haridwar and Udham Singh Nagar districts of Uttarakhand State, as may be prescribed, on furnishing an Affidavit to the effect that such land will be used for Agricultural or Horticultural purposes and for uses incidental to and connected with Agriculture or Horticulture only. If the land use of such land as mentioned in the Affidavit is changed, the said transfer shall be void and consequences of section 167 shall apply." **(four)** after sub-clause (b) of clause (3) a new sub-clause (c) and sub clause (d) shall be inserted as follows, namely:- "**(c)** **(1)** A person who is a non-tenure holder but purchase the land without approval under section 154(4)(1)(a), 154(4)(2)(e) or 154(4)(2)(f) or purchases a land with sanction conferred under section 154(4)(3) than shall continue to be a bhumidhar of special category as provided under section 129-B and such bhumidhar shall be eligible to purchase land in future only with the permission, of the State Government; **(2)** Such bhumidhar may mortgage or hypothecate such land for obtaining loan from banks or financial institutions and may derive any other benefit accruing from his bhumidhari rights under section 129; **(3)** If such bhumidhar is unable to pay the loan taken from the bank or financial institutions and such land is auctioned/ sold for repayment of the loan by the said bank or financial institution, while taking action under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) or other prevailing Act, then the receiver/ buyer of such land received by the auction shall not be required to obtain land purchase permission separately: Provided that if a buyer is a tenure holder in the State of Uttarakhand of any category as mentioned in section 129 or such owner of any immovable property in Uttarakhand who has acquired it on or before 12-09-2003 or any member

प्रमाणित प्रति
C
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		of the 'family', (which means husband, his wife and their children, including step or adopted children, and includes parents, grand-parents, brothers and unmarried, widowed, separated and divorce sisters) of tenure holder or owner of property acquires such land by participating in auction/sale then he shall become a bhumidhar having transferable rights under section 129: Provided further that if a buyer is a not a tenure holders in the State of Uttarakhand of any category as mentioned in section 129 or not a owner of any immovable property in Uttarakhand who has acquired it on or before 12-09-2003 or any member of the 'family', which means husband wife and their children, including step or adopted children, and includes parents, grand-parents, brothers and unmarried, widowed, separated and divorced sisters, of such tenure holder or property owner then he shall be bhumidhar of special category under section 129 of land acquired through auction /sale and he may use for the same purpose namely, for the which the land was purchased. **(4)** If any person who is a non-tenure holder of any category as mentioned in section 129 or not a owner of any immovable property situated in Uttarakhand who has acquired it on or before 12-09-2003, who has purchases land without permission under section 154(4)(1)(a), 154(4)(2)(e) or 154(4)(2)(f) or purchases a land with sanction conferred under section 154(4)(3), within a period of three years which shall be calculated from the date of registration of sale deed of land or after that if buyer apply for land use time extension within fixed time then within such time limit which is allowed for such reason to be recorded in writing by State Government, shall use the said land for that purpose. **(5)** If the buyer fails to use the land for the purpose for which the sanction has been granted or used the land for any purpose other than that for which it was granted or sell, gifts or otherwise transfers the land for a purpose other than that for which it was purchase without permission of the State Government than such transfer shall be void for the purposes of the Act and consequences of section 167 shall apply."

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(d) (1) The buyer shall not require permission to sell the land for the same purposes for which it was purchased.

(2) For sale for the purpose other than same purpose, if the buyer is not a tenure holder in the State of Uttarakhand of any category mentioned in section 129 or not a owner of any immovable property in Uttarakhand who has acquired it on or before 12-09-2003 or any member of the 'family', which means husband wife and their children, including step or adopted children, and includes parents, grand-parents, brothers and unmarried, widowed, separated and divorced sisters, of such tenure holder or owner then the seller shall have to obtain prior permission of the Government.

(3) If a buyer is a tenure holders in the State of Uttarakhand of any category as mentioned in section 129 or such owner of any immovable property in Uttarakhand who has acquired it on or before 12-09-2003 or any member of the 'family', which means husband, his wife and their children, including step or adopted children, and includes parents, grand-parents, brothers and unmarried, widowed, separated and divorce sisters, of tenure holder or owner of property then he shall become a tenure holder having transferable rights under section 129 after purchasing land from tenure holder of special category.

(4) If a buyer is a not a tenure holders in the State of Uttarakhand of any category as mentioned in section 129 or such owner of any immovable property in Uttarakhand who has acquired it on or before 12-09-2003 or any member of the 'family', which means husband wife and their children, including step or adopted children, and includes parents, grand-parents, brothers and unmarried, widowed, separated and divorced sisters, of such tenure holder or property owner, then if he purchases land from tenure holder of special category with permission of State Government then he shall become a tenure holder of special category."

(iv) sub section (5) shall be substituted as follows, namely: -

"**(5) (1)** Where -

(a) The Registrar or Sub-Registrar appointed under the Indian Registration Act, 1908 before whom any document

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		pertaining to transfer of land is presented for registration comes to know or has reason to believe that the transfer of land is in contravention of section 154(3), 154(4)(1) (a) or 154 (4)(3); or (b) a Revenue officer either on an application submitted to him or on receipt of any information from any source comes to know or has reason to believe that the land has been transferred in contravention of the provisions of section 152-A, 154(3), 154(1)(a), 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) or 154(4)(3), then he shall make a reference to such Sub-Registrar, Registrar or Revenue officer, as the case may be, to the Assistant Collector officer in charge of the Sub division, where that land or its part is situated, then he shall determine whether the transfer is in contravention of the provision of this Act in the manner prescribed and the consequences of section 167 shall apply in respect of every such transfer which is void. (2) The State Government may, either on the report of a Revenue officer or on an application by any person or of its own motion, call for the records of any proceedings or case for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and may pass such order in relation thereto as it may think fit. (3) No order shall be passed under this sub-section which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard."
Amendment of 156	**4.**	In section 156 of the principal Act, sub clause (i) of clause (c) of sub-section (1) shall be substituted as follows, namely: - "(i) Without prejudice to the restriction content in section 157(a) and section 157(b) of the principal Act, the land for the purposes of agriculture, horticulture, herbs, unseasonal vegetables, medicinal and aromatic plants, production of spices, plantation, animal husbandry and milk production, poultry farming and live stock procreation, apiculture, pisciculture and agro and food processing, tea plantation and processing and alternative energy projects may be given on lease along with lease rent for maximum period of 30 years with fixing terms and conditions to any person, Institution, Society, Trust, Firm, Company and self help groups. Cash, produce or any part of the

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

produce may be included in lease rent.

On the basis of lease deed entry of lessor, lessee, khasra number, rakba, lease term etc. shall be made in remarks column of khatoni."

Amendment of Schedule II

5. In schedule II of principal Act, after serial number 11, a new serial 11A shall be inserted as follows, namely: -

S.N.	Section	Description of proceeding	Court of original jurisdiction	Court of	
				first appeal	second appeal
1	2	3	4	5	6
11A	152-A(1), 154(4)(1)(a), 154(4)(1)(e), 154(4)(1)(f), 154(4)(3), 154(5)	in case of violation void transfer and its consequences	Assistant Collector officer in charge of pargana	Commis-sioner	Revenue Board

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of Objects and Reasons

With a objective of land area according to the necessity of purpose for purchasing land for various purposes in State and using purchased land according to the determined purpose and to clarify the jurisdiction of Revenue Courts in respect of land falling under area of local body amendment in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Uttar Pradesh Act no 01 of 1951) (Adaptation and Modification Order, 2001) (as applicable in the State of Uttarakhand) is necessary.

2. The proposed Bill fulfills the above objectives.

Puskar Singh Dhami
Chief Minister.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड